

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 10/9/2026

विषय : विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को ₹5.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹65,00,000.00 (पैंसठ लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

3. उक्त प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	संकल्प संख्या	पत्रांक/ दिनांक	मृत व्यक्ति का नाम/ पदनाम	स्वीकृत राशि	अश्वुक्ति
1	5482 दिनांक 01.10. 2018	जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-521 दिनांक-17.04.26	स्व० उपेन्द्र शर्मा, वार्ड सदस्य, ग्राम-अईयारा, प्रखंड- करपी, जिला-अरवल	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-521 दिनांक-17.04.26 में प्राप्त स्वीकृति

2		जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1228 / 06.05.2026	स्व० चानो देवी, पंच ग्राम-जरिसो, प्रखंड-बेनीपुर, जिला-दरभंगा	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1228 / 06.05.2026 के साथ संलग्न आदेश दिनांक-04.05.26 में प्राप्त स्वीकृति
3		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-246 / 14.05.2026	स्व० प्रेमा देवी, पंच ग्राम-घनौजी, प्रखंड-गौनाहा, जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक-955 दिनांक-25.03.26 में प्राप्त स्वीकृति
4		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1285 / 05.06.26	स्व० दशरथ प्रसाद सिंह, पंच ग्राम-बलाहा, प्रखंड-नारायणपुर, जिला- भागलपुर	₹5,00,000.00	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1285 / 05.06.26 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-02.06.26 में प्राप्त स्वीकृति
5		जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-1548 / 17.06.2026	स्व० आलोक ठाकुर, वार्ड सदस्य ग्राम-मटियारकला, प्रखंड-बथनाहा, जिला- सीतामढ़ी	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-1548 / 17.06.26 के साथ संलग्न आदेश दिनांक-17.06.26 में प्राप्त स्वीकृति
6	5482 दिनांक 01.10.2018	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-954 / 15.04.2026	स्व० मनोज राय, वार्ड सदस्य ग्राम-पचटकी, प्रखंड-बैरगनियाँ, जिला-सीतामढ़ी	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-954 / 15.04.2026 के साथ संलग्न आदेश दिनांक-15.04.26 में प्राप्त स्वीकृति
7		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1288 / 05.06.26	स्व० ममता देवी, ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम- गोपालपुर डिमहा, प्रखंड-गोपालपुर, जिला- भागलपुर	₹5,00,000.00	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1288 / 05.06.26 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-02.06.26 में प्राप्त स्वीकृति
8		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1287 / 05.06.26	स्व० उपेन्द्र कुमार मंडल, ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम- घोघा, प्रखंड-कहलगौंव, जिला- भागलपुर	₹5,00,000.00	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर, के पत्रांक-1287 / 05.06.26 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-02.06.26 में प्राप्त स्वीकृति

9	5482 दिनांक 01.10. 2018	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-1760/ 02.06.2026	स्व० हरिहर राम, वार्ड सदस्य ग्राम- खाप बनकट, प्रखंड-नवतन, जिला-सिवान	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, सिवान के अभिलेख संख्या-05/2026-27 में प्राप्त स्वीकृति
10		जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-1286/ 05.06.2026	स्व० अनिता देवी, मुखिया ग्राम- श्यामपुर कुमैठा, प्रखंड-सुलतानगंज, जिला- भागलपुर	₹5,00,000.00	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-1286/05. 06.2026 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-02. 06.26 में प्राप्त स्वीकृति
11		जिला पदाधिकारी, मुंगेर, के पत्रांक-1190/ 01.06.26	स्व० राम विलास ताँती, पंचायत समिति सदस्य ग्राम- बढौनिया, प्रखंड-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, मुंगेर, के पत्रांक-1190/01.06. 26 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, मुंगेर के आदेश में प्राप्त स्वीकृति
12		जिला पदाधिकारी, रोहतास के संशोधित आदेश ज्ञापांक-2207 दिनांक-11.07.26	स्व० राजेश शर्मा, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम पंचायत- अमियावार, प्रखंड- नासरीगंज जिला-रोहतास	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, रोहतास के आदेश ज्ञापांक-255 दिनांक-19.01.26 में प्राप्त स्वीकृति
13		जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक 1398 दिनांक 17.06.2025	स्व० किस्मातो देवी, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत इन्द्रपुरी, प्रखंड तिलौथू-जिला रोहतास	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक 1398 दिनांक 17.06.2025 में प्राप्त स्वीकृति

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष 001-निर्देशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं०-16 एवं विपत्र कोड 16-2515000010101 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।




7. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि की मृत्यु से संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या-5482 दिनांक-01.10.2018 के आलोक में अपने स्तर से करा ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्प संख्या-ए०/विविध-(38)-60-2008-8960 दिनांक-30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026 के पृष्ठ-43/टि० पर दिनांक-21/09/26 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026 के पृष्ठ-43/टि० पर दिनांक-21/09/26 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वसभाजन

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026/50/510/पं०रा०पटना, दिनांक 20/9/26
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, भागलपुर, सीतामढी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026/5015910/पं०रा०पटना, दिनांक 10/9/26
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026/5015910/पं०रा०पटना, दिनांक 10/9/26
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5(बजट)/आई०टी० मैनेजर,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-05/2026/5015910/पं०रा०पटना, दिनांक 10/9/26
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव